रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222758
SG-DL-E-27102020-222758

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/कार्तिक 4, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 182
No. 234]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942	[N. C. T. D. No. 182

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
(निदेशक स्थानीय निकाय का कार्यालय)
अधिसूचना

दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

सं.फा. 4(1)/आरआर/एलबी/2017/सीडी सं0 000437441/2229-38—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) तथा 484क की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 98 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19 अक्तूबर, 1966 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम में **चौधरी** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (1) इन विनियमों को **चौधरी** के भर्ती नियम, 2020 कहा जायेगा।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित

अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :– इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**चौधरी**
2.	**पदों की संख्या**	:	(उत्तर, दिल्ली नगर निगम–160, दक्षिण, दिल्ली नगर निगम–160, पूर्व, दिल्ली नगर निगम–80) कुल 400* (2020) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	वर्ग ''ग''
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2, (19900–63200/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में नियमानुसार सरकारी कर्मचारियों, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिये शिथिलनीय। **नोट**:–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य योग्यता** :– मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान या कृषि विषय सहित विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं भौक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	आयुः नहीं **शैक्षणिक योग्यता**ः नहीं, लेकिन मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की योग्यता धारक हो तथा संबंधित निगम द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो।

9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती वालों के लिये दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः** (i) नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त वेतन मैट्रिक्स (18000–56900/–रुपये) स्तर–1 में तीन वर्षों की सेवा सहित बागवानी विभाग के माली, चौकीदार हेज–मैन और मशीनमैन। (ii) चयन कॉलम 8 में यथाल्लिखित ट्रेड परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समितिः 1. निदेशक (बागवानी) –अध्यक्ष 2. उप–निदेशक (बागवानी) (मुख्या0) – सदस्य 3. सहायक आयुक्त (बागवानी) – सदस्य 4. सहायक निदेशक (बागवानी) – सदस्य 5. प्रशासनिक अधिकारी (बागवानी)– सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
अशोक कुमार, उप–निदेशक (स्थानीय निकाय)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 26th October, 2020

No. F.4(1)/RR/LB/2017/CD-000437441/2229-38.— In exercise of the powers conferred by section 98 read with sub-section (2) of section 480 and sub-section (3) of section 484A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification Number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following recruitment rules for regulating the method of recruitment to the post of **Chaudhary** in North, South and East Delhi Municipal Corporations, namely:-

1. **Short title and commencement.**–(1)These regulations may be called **Chaudhary Recruitment Rules, 2020**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**-The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**-Method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** – Where the Government of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving**. – Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification of the post.**	**Pay Level in the Pay Matrix.**	**Whether Selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chaudhary.	North DMC 160* (2020) South DMC 160* (2020) East DMC 80* (2020) Total 400* (2020) *Subject to variation depending on workload.	Category 'C'.	Level 2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix.	Selection.	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants, employees of the Municipal Corporation of Delhi and Schedule Caste/Schedule Tribe/Other Backward Classes as per rule in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh U.T.,Lahaul and Spiti Districts and Pangi subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands & Lakshdweep).

Educational and other qualification s required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification : (i) 12th Pass in Science Stream with Biology or Agriculture as a subject from recognized board or university.	**Age** : No **Educational Qualifications** : No, but must possess 10th pass qualification from a recognized Board/Institution and must qualify Trade Test conducted by the respective Corporations.	Two Year for Direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment By promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion:- (i) Mali, Chowkidar, Hedge-man and Machine-man of Horticulture Department with three years' service in Level 1 (Rs. 18000-56900) of Pay Matrix rendered after appointment thereto on regular basis. (ii) The selection shall be made on the basis of a Trade Test as mentioned in Column No 8.	**Departmental Promotion/ Confirmation Committee for considering promotion/ Confirmation:** (i) Director (Horticulture) - Chairman. (ii) Dy. Director (Horticulture) (HQ) - Member (iii) Assistant Commissioner (Horticulture) - Member (iv) Assistant Director of Horticulture - Member (v) Admn. Officer (Horticulture) - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR, Dy. Director (Local Bodies)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.27 16:39:13 +05'30'